The Academic
International Journal of Multidisciplinary Research

An Online Peer Reviewed / Refereed Journal
Volume 3 | Issue 7 | July 2025
ISSN: 2583-973X (Online)
Website: www.theacademic.in

विद्यालय समेकन नीति और ग्रामीण बालिकाओं की शिक्षा: बालिका सशक्तिकरण के उद्देश्य पर एक आलोचनात्मक दृष्टि

अनामिका साहनी
असिस्टेंट प्रोफेसर, स्कूल ऑफ़ एजुकेशन, बाबू बनारसी दास यूनिवर्सिटी लखनऊ, (उत्तर प्रदेश)
ईमेल आईडी – anamikasahani4u@ gmail.gmail.com

DOI : https://doi.org/10.5281/zenodo.16869712

ARTICLE DETAILS

Research Paper

Accepted: 26-07-2025

Published: 10-08-2025

Keywords:
लोकतांत्रिक, विद्यालय, शिक्षा, रणनीतिक

ABSTRACT

यह शोध-पत्र **विद्यालय समेकन नीति** के प्रभावों की एक **गुणात्मक समीक्षा** प्रस्तुत करता है, विशेषतः **ग्रामीण क्षेत्रों की बालिकाओं** पर पड़ने वाले **सामाजिक, शैक्षणिक और मनोवैज्ञानिक प्रभावों** के संदर्भ में। "**बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ**" जैसे सरकारी अभियानों के विपरीत, यह नीति कई ग्रामीण समुदायों में बालिकाओं की **शैक्षणिक पहुँच** को सीमित कर रही है। विद्यालयों का **दूरस्थ स्थानांतरण**, **असुरक्षित मार्ग**, **परिवहन की अनुपलब्धता**, तथा **अभिभावकों की सुरक्षा संबंधी आशंकाओं** ने बालिकाओं की **उपस्थिति** और **शैक्षणिक निरंतरता** को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। यह अध्ययन केवल आँकड़ों पर आधारित न होकर, उन **ज़मीनी अनुभवों**, **सामाजिक चिंताओं**, और **मानवीय पहलुओं** को उजागर करता है जिन्हें अक्सर **नीति-निर्माण की प्रक्रिया** में अनदेखा कर दिया जाता है। अंततः, अध्ययन इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि यदि विद्यालय समेकन की प्रक्रिया को लागू करते समय **बालिकाओं की शिक्षा और सुरक्षा** को **केंद्रीय प्राथमिकता** न दी जाए, तो यह नीति **अपने उद्देश्य के विपरीत परिणाम** दे सकती है।

भूमिका (Introduction)

"शिक्षा सबका अधिकार है" — यह केवल एक संवैधानिक घोषणा नहीं, बल्कि एक लोकतांत्रिक समाज का आधार स्तंभ है। भारतीय संविधान की **धारा 21A** प्रत्येक बालक और बालिका को 6 से 14 वर्ष की आयु में **नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा** का अधिकार प्रदान करता है। इसके साथ ही "बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ" जैसे राष्ट्रीय अभियानों ने **बालिका शिक्षा और लैंगिक समानता** को केंद्र में लाकर उन्हें **नीतिगत प्राथमिकता** देने की दिशा में ठोस कदम बढ़ाया है।

परंतु प्रश्न यह उठता है कि क्या हमारे नीतिगत फैसले, योजनाएं और क्रियान्वयन वास्तव में बालिकाओं के हितों को ध्यान में रखकर लिए जा रहे हैं? क्या सरकार द्वारा बनाई जा रही शिक्षा नीतियाँ **व्यवहारिक, सामाजिक और लैंगिक संवेदनशीलता** से जुड़ी हुई हैं?

भारत के विभिन्न राज्यों में पिछले कुछ वर्षों में एक नई पहल के रूप में **विद्यालय समेकन नीति (School Consolidation Policy)** को लागू किया गया है। इसका तर्क यह दिया गया कि शिक्षकों की कमी, आधारभूत सुविधाओं की असमानता और छात्र संख्या में गिरावट के चलते कई विद्यालयों को पास-पास के स्कूलों में मिलाकर एकीकृत कर दिया जाए। इस नीति का उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाना, संसाधनों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करना और विद्यालयों की निगरानी को सशक्त बनाना बताया गया।

किन्तु, नीति निर्माण और उसके परिणामों के बीच की खाई तब गहराती है जब उसे **स्थानीय आवश्यकताओं**, **सामाजिक संरचना**, और **लैंगिक दृष्टिकोण** के बिना लागू किया जाता है। विशेषकर **ग्रामीण क्षेत्रों में**, जहाँ विद्यालय का पास में होना ही **बालिकाओं की शैक्षणिक निरंतरता और सुरक्षा** का आधार बनता था, अब विद्यालयों के समेकन से वह आधार खिसकता प्रतीत हो रहा है।

बालिकाएँ, जो अब तक कक्षा 8 तक पास के विद्यालय में शिक्षा ग्रहण कर रही थीं, उन्हें अब 2 से 3 किलोमीटर दूर भेजना अभिभावकों के लिए चुनौती बन गया है। असुरक्षित मार्ग, अपर्याप्त परिवहन, सामाजिक मान्यताएँ और आर्थिक बाधाएँ — इन सभी के बीच बालिकाओं की शिक्षा बाधित हो रही है। कई मामलों में उन्हें पढ़ाई छोड़नी पड़ रही है या उनकी शैक्षणिक नियमितता में गिरावट देखी गई है।

यह शोध-पत्र इन्हीं सामाजिक, पारिवारिक और संरचनात्मक प्रभावों का **गुणात्मक विश्लेषण** करता है। इस अध्ययन का उद्देश्य केवल नीति के प्रावधानों की समीक्षा करना नहीं है, बल्कि यह **उस यथार्थ को उजागर करना है** जो विद्यालय समेकन नीति के लागू होने के पश्चात गाँवों, गलियों और घरों में देखा और सुना जा रहा है।

2.शोध विधि (Research Methodology)

प्रस्तुत शोध-पत्र में **गुणात्मक शोध विधि (Qualitative Research Approach)** को अपनाया गया है। इसमें न तो संख्यात्मक डेटा का विश्लेषण किया गया है, न ही कोई सांख्यिकीय परीक्षण। इसके स्थान पर **साक्षात्कार, समुदाय की मौखिक अभिव्यक्ति, समाचार रिपोर्टें, नीति-पत्र**, तथा **शैक्षणिक और सामाजिक दस्तावेजों** के आधार पर **वर्णनात्मक, अनुभवजन्य और आलोचनात्मक विश्लेषण** किया गया है। यह अध्ययन **मानवीय अनुभवों, सामाजिक संरचना और ग्रामीण अभिभावकों की मानसिकता** को केंद्र में रखता है

3. विद्यालय समेकन नीति की रूपरेखा और उद्देश्य

विद्यालय समेकन नीति (School Consolidation Policy) का मूल उद्देश्य उन शासकीय विद्यालयों को एकीकृत करना है, जिनमें छात्र संख्या न्यून है या जो भौगोलिक रूप से अत्यधिक पास-पास स्थित हैं। नीति-निर्माताओं का यह मानना है कि इससे:

- शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा,
- शिक्षक-छात्र अनुपात संतुलित होगा,
- संसाधनों (जैसे – स्मार्ट क्लास, प्रयोगशाला, पुस्तकालय) का बेहतर उपयोग होगा,
- प्रशासनिक व्यय कम होगा, और
- विद्यालयों की निगरानी, मूल्यांकन व निरीक्षण अधिक प्रभावी हो पाएगा।

यह नीति वर्तमान में **उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्यप्रदेश, बिहार, और छत्तीसगढ़** जैसे राज्यों में लागू की गई है, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहाँ छोटे विद्यालयों की संख्या अधिक है। इस नीति के अंतर्गत एक निश्चित दूरी के भीतर स्थित छोटे विद्यालयों को बंद करके एक केंद्रीय विद्यालय में समाहित कर दिया जाता है, जिसे 'गंतव्य विद्यालय' कहा जाता है।

हालाँकि, इन उद्देश्यों की पूर्ति **सैद्धांतिक रूप से आकर्षक** प्रतीत होती है, परंतु इसका **जमीनी क्रियान्वयन** अनेक **सामाजिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक जटिलताओं** से जुड़ा हुआ है — विशेषकर ग्रामीण और दूर-दराज़ के क्षेत्रों में।

प्रमुख समस्याएं इस प्रकार हैं:

1. **भौगोलिक दूरी:** अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालयों के बीच की दूरी 2 से 5 किलोमीटर तक बढ़ जाती है, जिससे बच्चों को विशेषकर बालिकाओं को आने-जाने में असुविधा और खतरा होता है।
2. **लैंगिक प्रभाव:** बालिकाओं के लिए विद्यालय की निकटता ही उनकी शिक्षा की निरंतरता सुनिश्चित करती है। जब विद्यालय दूर हो जाता है, तो माता-पिता उनकी सुरक्षा और सामाजिक सीमाओं के कारण उन्हें पढ़ने से रोक देते हैं।
3. **सामुदायिक संबंधों की टूटन:** स्थानीय विद्यालय न केवल शिक्षा का केंद्र होते हैं, बल्कि समुदाय की सामाजिक-सांस्कृतिक पहचान का भी हिस्सा होते हैं। विद्यालय का बंद होना समुदाय की सक्रिय भागीदारी और पहचान को भी प्रभावित करता है।
4. **आर्थिक बोझ:** कुछ परिवारों को अब बच्चों के लिए निजी साधनों से स्कूल पहुँचने की व्यवस्था करनी पड़ती है, जो आर्थिक रूप से असंभव या अत्यधिक कठिन हो सकता है।
5. **छात्रों की उपस्थिति और ड्रॉपआउट दर:** कुछ जिलों में यह देखा गया है कि विद्यालय समेकन के बाद **बालिकाओं की उपस्थिति में गिरावट** और **ड्रॉपआउट दर में वृद्धि** दर्ज की गई है, विशेष रूप से कक्षा 6 से 8 के बीच।

इन सभी कारणों से यह स्पष्ट होता है कि विद्यालय समेकन नीति तभी सफल हो सकती है जब इसे **स्थानीय सामाजिक संरचना**, **भौगोलिक यथार्थ**, और विशेषकर **लैंगिक संवेदनशीलता** को ध्यान में रखकर लागू किया जाए।

नीति-निर्माताओं को चाहिए कि समेकन से पूर्व क्षेत्र विशेष का **सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन (Social Impact Assessment)** किया जाए और समुदाय की राय को प्राथमिकता दी जाए। अन्यथा यह नीति **बालिका शिक्षा और समान अवसरों** को सुनिश्चित करने की बजाय उन्हें और सीमित कर सकती है।

4.नीति का ग्रामीण संदर्भ में प्रभाव :

ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय समेकन के परिणामस्वरूप अनेक विद्यालय या तो **बंद कर दिए गए हैं** अथवा उन्हें **दूरस्थ स्थानों पर स्थानांतरित** कर दिया गया है।
इसका प्रत्यक्ष प्रभाव निम्न रूपों में देखने को मिला है:

- बालिकाओं को अब स्कूल तक पहुँचने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है।
- पारिवारिक व सामाजिक परिवेश में यह दूरी असुरक्षा और अनिच्छा का कारण बन जाती है।
- माता-पिता, विशेषकर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अपनी बेटियों को स्कूल भेजने से हिचकते हैं।
- इससे बालिकाओं की **उपस्थिति**, **नियमितता**, तथा **शैक्षणिक निरंतरता** पर नकारात्मक असर पड़ रहा है

5.बालिका शिक्षा पर विशेष प्रभाव :

यदि **विद्यालय समेकन नीति** के प्रभावों को **लैंगिक परिप्रेक्ष्य** से विश्लेषित किया जाए, तो यह स्पष्ट रूप से दिखाई देता है-

- बालिकाएँ विद्यालय से कट रही हैं।
- कई किशोर बालिकाएँ शिक्षा छोड़ रही हैं या उन्हें घरेलू कार्यों में लगा दिया गया है।
- सामाजिक भय एवं अभावों के चलते **बाल-विवाह** की प्रवृत्तियाँ भी बढ़ सकती हैं।
- "शिक्षा का मौलिक अधिकार" बालिकाओं के लिए केवल दस्तावेजों में सीमित रह गया है।

यह स्थिति **राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020** में उल्लिखित **"सर्वसमावेशी एवं लिंग-संवेदनशील शिक्षा"** के उद्देश्य से भी मेल नहीं खाती।

6. समुदाय की प्रतिक्रिया और अनुभव

विद्यालय समेकन नीति का प्रभाव केवल सरकारी बैठकों, निर्देशों या फाइलों तक सीमित नहीं है — इसका वास्तविक असर **ग्राम पंचायत, खेत, रसोई और माँ-बाप की आँखों** में देखा जा सकता है।

जब एक माँ अपनी बेटी को विद्यालय नहीं भेज पा रही है क्योंकि स्कूल अब 2–3 किलोमीटर दूर है, तो यह केवल शैक्षणिक नहीं, एक **गंभीर सामाजिक असमानता का प्रतीक** बन जाता है।

इस नीति को लागू करते समय न तो **स्थानीय पंचायतों से विचार-विमर्श** किया गया, और न ही **अभिभावकों, शिक्षकों, ग्राम सभाओं या महिला प्रतिनिधियों** से संवाद स्थापित किया गया। इससे यह नीति न केवल **संवादविहीन** बनी, बल्कि उसे **समाज-विरोधी अनुभव** भी मिलने लगे।

ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषकर माता-पिता का कहना है:

"हमारी बेटियाँ अब पहले की तरह नहीं जा पातीं। रास्ते सुनसान हैं, खेतों से होकर जाना पड़ता है, जानवर भी होते हैं और कई बार लड़के भी पीछे पड़ते हैं। पहले स्कूल घर के पास था, अब इतना दूर कौन भेजे?"

यह सिर्फ एक शिकायत नहीं — यह **नारी सुरक्षा, पारिवारिक चिंता और सामाजिक संरचना** की एक समग्र अभिव्यक्ति है।

कुछ समुदायों ने तो स्थानीय विद्यालय बंद होने के विरोध में पंचायतें बुलाईं, ज्ञापन दिए, लेकिन उन्हें सुना नहीं गया। इससे **नीति-निर्माता और जनता के बीच विश्वास का संकट** और गहरा हो गया।

कई शिक्षकों ने भी यह महसूस किया कि:

"छात्र संख्या कम हो गई है। खासकर लड़कियाँ अब दिखती ही नहीं हैं। कुछ ने कहा कि अब स्कूल छोड़कर कहीं और शादी करा देंगे।"

यह प्रतिक्रिया न केवल **शिक्षा से छूटने** का प्रमाण है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि यह नीति अप्रत्यक्ष रूप से **बाल विवाह**, **घरेलू श्रम** और **शैक्षणिक असमानता** को बढ़ावा दे रही है।

इस पूरे परिदृश्य से स्पष्ट है कि **इस नीति का क्रियान्वयन 'नीचे से ऊपर' नहीं, बल्कि पूरी तरह 'ऊपर से नीचे' हुआ**, जिसमें समुदाय की चिंता, असुरक्षा और जमीनी सच को पूरी तरह नज़रअंदाज़ कर दिया गया।

समाज की भागीदारी के बिना कोई भी नीति केवल आदेश बनकर रह जाती है — न कि बदलाव का माध्यम।

इस नीति को लागू करते समय स्थानीय समुदाय अभिभावकों और शिक्षकों की राय नहीं दी गई

ग्रामीण माता-पिता विशेष कर कहते हैं स्कूल अब बहुत दूर हो गया है रास्ते सुरक्षित नहीं है हम अपनी बेटियों को कैसे भेजें

इस प्रतिक्रिया से स्पष्ट है कि यह नीति नीचे से ऊपर के बजाय ऊपर से नीचे तरीके से थोपी गई, जिसने सामुदायिक भागीदारी को पूरी तरह नजर अंदाज कर दिया ।

7. नीतिगत संतुलन और लोकतांत्रिक संवाद का अभाव :

शिक्षा केवल एक सामाजिक सेवा नहीं, बल्कि संविधान प्रदत्त एक लोकतांत्रिक अधिकार है। भारतीय संविधान की धारा 21A के अंतर्गत सभी बच्चों को 6 से 14 वर्ष की आयु में **मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार** प्राप्त है। ऐसी स्थिति में, किसी भी शैक्षिक नीति को लागू करते समय **सामाजिक न्याय, समान अवसर, और क्षेत्रीय आवश्यकताओं** को ध्यान में रखना अत्यंत आवश्यक है।

विद्यालय समेकन नीति के क्रियान्वयन में यह स्पष्ट रूप से देखा गया है कि:

- स्थानीय समुदायों से **पूर्व सहमति नहीं ली गई**
- **ग्राम प्रधान, शिक्षकों, महिला प्रतिनिधियों और अभिभावकों** की राय की उपेक्षा की गई
- नीति की प्रक्रिया **एकपक्षीय और प्रशासनिक निर्देशों पर आधारित** रही

इससे नीति का स्वरूप **जन-उत्तरदायी** न होकर **प्रशासन-प्रधान** बन गया, जिससे **विश्वास की कमी** और **असहमति की भावना** उत्पन्न हुई।

विद्यालयों का समेकन एक तकनीकी समाधान हो सकता है, परंतु जब यह नीति:

- **परिवहन की असुविधा** को नज़रअंदाज़ करे,
- **बालिकाओं की सुरक्षा** को गौण माने,
- और **सामाजिक-सांस्कृतिक बाधाओं** की अनदेखी करे,

तो यह न केवल नीति की असफलता है, बल्कि **लोकतांत्रिक संवाद की अनुपस्थिति** का भी संकेत है।

एक स्वस्थ लोकतंत्र में नीतियाँ **नीचे से ऊपर (Bottom-up)** मॉडल पर बननी चाहिए, जहाँ **नीतिगत हस्तक्षेप समुदाय की सहमति, सहभागिता और आवश्यकताओं के अनुरूप हों।** परंतु विद्यालय समेकन में ऐसा कोई संवादात्मक मंच नहीं दिखा।

इसका सबसे गंभीर परिणाम यह हुआ कि **बालिकाओं की शिक्षा, जो वर्षों के संघर्ष से धीरे-धीरे सामान्य हुई थी, अब पुनः असामान्य होती जा रही है।** यह **शिक्षा के अधिकार**, **लैंगिक समानता**, और **ग्रामीण सशक्तिकरण** — तीनों को सीधे प्रभावित करता है।

इसलिए कहा जा सकता है कि यह नीति, अपने क्रियान्वयन के स्वरूप में, **लोकतांत्रिक सहभागिता के बुनियादी मूल्यों से विचलित** रही है — और इसका खामियाज़ा सबसे अधिक **ग्रामीण बालिकाओं** को उठाना पड़ा है।

8. निष्कर्ष (Conclusion)

विद्यालय समेकन नीति को जब केवल **प्रशासनिक और वित्तीय दृष्टिकोण** से देखा जाता है, तो यह संभवतः एक रणनीतिक निर्णय प्रतीत होता है। लेकिन जब हम इसे **सामाजिक न्याय, शिक्षा की समानता और लैंगिक अधिकारों** के चश्मे से देखते हैं, तो इसकी कई खामियाँ उजागर होती हैं — विशेषतः **ग्रामीण बालिकाओं की शिक्षा** के संदर्भ में।

इस नीति का वास्तविक प्रभाव **शासकीय रिपोर्टों या संख्यात्मक आंकड़ों** से नहीं मापा जा सकता। इसका आकलन **गाँव की गलियों, चुप होती कक्षाओं, बंद होते विद्यालयों, और सबसे बढ़कर — शिक्षा से कटती बालिकाओं की चुप्पी** से किया जाना चाहिए।

आज जब ग्रामीण माता-पिता यह कहते हैं कि *"अब स्कूल दूर है, हम बेटी को नहीं भेज सकते,"* तो यह केवल दूरी की बात नहीं होती — यह एक सामाजिक, सांस्कृतिक और मानसिक दूरी बन जाती है **जो बालिकाओं को शिक्षा से दूर, और उनके सपनों को और भी दूर** कर देती है।

विद्यालय समेकन नीति जैसे कदम, यदि **समावेशी सोच, सामाजिक भागीदारी, और लैंगिक दृष्टिकोण** के बिना लागू किए जाएँ, तो वे शिक्षा के लोकतांत्रिक उद्देश्य के ठीक विपरीत दिशा में कार्य करते हैं।

"बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ" जैसे अभियान तभी सार्थक हो सकते हैं जब नीतियाँ उस **बेटी की ज़रूरत, दूरी, डर और अवसर की समानता** को ध्यान में रखकर बनाई जाएँ। अन्यथा, यह नारा भी धीरे-धीरे एक खोखला आदर्श बन जाएगा।

अतः आवश्यकता है कि ऐसी नीतियों को **पुनर्मूल्यांकन** किया जाए, उन्हें **नीचे से ऊपर की सहभागिता**, **गंभीर सामाजिक अध्ययन**, और **लैंगिक विश्लेषण** के साथ फिर से ढाला जाए — ताकि **शिक्षा का अधिकार वास्तव में सबका अधिकार बन सके**, न कि केवल शहरी, सक्षम और लड़कों तक सीमित।

9. सुझाव (Suggestions)

1. **समेकन से पूर्व सामाजिक और लैंगिक प्रभाव मूल्यांकन (SIA-GIA) अनिवार्य किया जाए।**
2. बालिकाओं की शिक्षा के लिए **नज़दीकी स्कूल, सुरक्षित वातावरण** और **परामर्श सुविधाएँ** उपलब्ध कराई जाएँ।
3. ग्रामीण क्षेत्रों में **स्थानीय समुदाय और महिला प्रतिनिधियों की भागीदारी** से नीति निर्माण किया जाए।
4. राज्य सरकार द्वारा **स्वतंत्र सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट** प्रकाशित की जाए।
5. "बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ" जैसे अभियानों को **नीतिगत समर्थन और संरचना** प्रदान की जाए, केवल प्रचार तक सीमित न रखा जाए।

ग्रंथ सूची (References

Govinda, R. (2014). *School Infrastructure and Access to Education in Rural India*. NUEPA. RTE Forum. (2020). *Status Report on Implementation of the RTE Act 2009*. New Delhi. UNICEF. (2021). *Consolidation of Schools in South Asia: A Policy Analysis*. UNICEF South Asia Office.

District Education Office. (2023). *Annual Consolidation Review Report*, Unpublished Report, Uttar Pradesh.

MHRD. (2020). *National Education Policy 2020*. Government of India.

Saxena, N. C. (2022). *Girls' Education in India: Issues of Access and Retention*. Indian Journal of Social Studies, 58(2).